न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 82/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी जिला पाली		देवीसिंह पुत्र उमरदान चारण निवासी– अणेवा तहसील देसूरी जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 17.11.2021 जो न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (सिलिंग) पाली द्वारा प्रथम अपील संख्या 16/2021 अनवान देवीसिंह बनाम राज0 राज्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नारायणदान चारण, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 19 जनवरी, 2023

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लाम्पी तहसील देसूरी के खसरा न0 262 रकबा 3.34 हैक्टर भूमि किस्म बारानी दोयम /गैर मुमकीन पहाड स्थित है परन्तु उक्त खसरा की रकबा 1.02 हैक्टर सरकारी पहाड की भूमि पर रेस्पो0 के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया जिसके विरूद्ध ना0 तहसीलदार देसूरी न्यायालय के द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए रेस्पो0 को नोटिस जारी किया तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त दिनांक 18.8.2021 को प्रकरण में निर्णय पारित कर रेस्पोडेन्ट को अतिक्रमी मानते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने व आरोपित जुर्माना राशि जमा कराने का आदेश प्रदान किया। ना0 तहसीलदार देसूरी न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध धारा 75 के तहत रेस्पो0 के द्वारा अति0 जिला कलेक्टर सिलिंग न्यायालय, पाली के समक्ष प्रथम अपील संख्या 16/2021 पेश की जिस पर दोनों पक्षकारान की बहस सुनने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2021 के द्वारा प्रथम अपील स्वीकार की जाकर ना0 तहसीलदार देसूरी के आदेश दिनांक 18.8.2021 को निरस्त कर दिया। अति0 जिला कलेक्टर सिलिंग न्यायालय, पाली के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2021 के विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 2.3.2022 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई यह कथन किया कि रेस्पो0 के द्वारा प्रथम अपील में सारभूत रूप से वादग्रस्त भूमि पर पुराना कब्जा काश्त बताकर अपना प्रतिकूल कब्जा बताने का प्रयास किया है और उसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भावनाओं में बहते हुए ही मान लिया गया और उक्त कब्जे के आधार पर ही उनके आराजी पर किये गये अतिक्रमण का नियमन/आवंटन करने की अनुशंषा का आदेश प्रदान कर दिया गया है जबकि विधीअनुसार किसी भी राजकीय पहाडी भूमि पर प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की मांग नहीं की जा सकती है, न ही

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

इस आधार पर किसी अतिक्रमी के कब्जा का नियमन ही किया जा सकता है लेकिन अधीनस्थअधिकारी द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दू को ध्यान दिये बगैर ही आलौच्य निर्णय पारित कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य होने से ना0 तहसीलदार देसूरी का आदेश दिनांक 18.8.2021 को यथावत रखे जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 के द्वारा प्रथम अपील में अपने आपको भूमिहीन होना जाहिर किया है जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के सरसरी तौर पर ही मान लिया है जबकि वह कतई भूमिहीन नहीं है बल्कि आदतन सरकारी भूमि पर अमिक्रमण करने का आदी है। रेस्पो0 के द्वारा उल्लेखित राजकीय भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण किया जिसके विरूद्ध नियमों के तहत विधि अनुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है और इसी के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए अतिक्रमित राजकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया है लेकिन एक अतिक्रमी के अतिक्रमित भूभाग का नियमन करने की अनुशंषा का निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध व मनमाना है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है। रेस्पो0 के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रकट होता हो कि उक्त अतिक्रमित भूमि का भूभाग पर उसके कोई हक–हकूक हो। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा मनमाने तरीके से ही मामलें में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हुए उल्लेखित राजकीय भूमि के अतिक्रमण को न केवल उसका एडवर्स पजेशन मान लिया है बल्कि उसे नियमन/आवंटन तक की अनुशंषा कर अपील प्रकरण में आनन–फानन में निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है।

राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.2021 को निर्णय पारित करने के उपरान्त द्वितीय अपील पेश करने हेतु राजकीय अधिवक्ता की राय मांगी गई और अधिवक्ता की राय आने के बाद प्रभारी अधिकारी के अन्य विभागीय कार्यो में व्यस्त होने के कारण अपील पेश नहीं कर पाये और बाद में दिनांक 5.1.2021 को कोविड की तृतीय लहर के चलते न्यायालय में नियमित कार्य नहीं हो रहा था और पक्षकार अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हो रहे थे। हाल में उक्त पाबन्दियां हटने के बाद अपील बिना किसी देरी के दिनांक 2.3.2022 को प्रस्तुत की गई। ऐसे में उक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद मानी जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तथा सारभूत रूप से रेस्पो0 के द्वारा पेश अपील के सम्पूर्ण तथ्यों को ही दर्ज किया गया है और संक्षेप में अपील का निस्तारण कर दिया है जो कतई विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अतः उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करावें एवं ना0 तहसीलदार देसूरी के निर्णय दिनांक 18.8.2021 को यथावत बहाल रखा जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील में उल्लेखित तथ्यों का परीक्षण करने उपरान्त

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से बहाल रखा जावें। रेस्पोडेन्ट के प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भू आंवटन सलाहकार समिति को भेजे जाने का निर्णय पारित किया है जो उचित है। मौके पर उल्लेखित भूमि किस्म गैर मुमकीन पहाड दर्ज है परन्तु मौके पर रेस्पो0 का जागीर के समय से यानि 50 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं मौके पर कुआं स्थापित है तथा मौसमी फसलें बाई जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में रेस्पोडेन्ट को भूमिहीन व्यक्ति माना है। ना0 तहसीलदार, देसूरी न्यायालय द्वारा रेस्पो0 को सुनवाई का अवसर दिये बिना व साक्ष्य दस्तावेज पेश करने का बिना अवसर दिये, बिना मौके की जॉच तलब किये मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही सत्य मानते हुए एक ही दिन में अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया था जो निरस्त करने योग्य ही था। ना0 तहसीलदार, देसूरी के द्वारा रेस्पो0 के प्रकरण में लम्बे समय से काबिज काश्त वाली भूमि के नियमन बाबत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों पर बिना विचार किये ही निर्णय पारित कर दिया था।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने कथन किया कि रेस्पो0 के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन निर्णय को अपास्त करने एवं उक्त ख0सं0 262 कुल रकबा 3.34 हैक्टर में से रकबा 1.02 हैक्टर पर काबिज अनुसार आराजी का नियमन करने हेतु प्रकरण भूमि आवंटन सलाहकार समिति को भिजवाने हेतु निवेदन किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 को भूमिहीन काश्तकार मान उक्त भूमि के अलावा काश्त करने हेतु और भूमि उपलब्ध नहीं होना माना तथा रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2050 से अब तक की अवधि की प्रस्तुत प्रमाणित नकलों के अवलोकन करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना0 तहसीलदार देसूरी के निर्णय दिनांक 18.8.21 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार देसूरी को निर्देश दिये कि रेस्पो0 को मौके से बेदखल नहीं किया जावे व न ही जुर्माना राशि वसूल की जावे। साथ ही राज्य सरकार की मंशा व नियमन हेतु चलाये जा रहे प्रशासन गांवों के अभियान में रेस्पो0 को आवंटन हेतु नियमानुसार नियमन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार अपनी टिप्पणी के साथ आवंटन सलाहकार समिति को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है जो पूर्ण रूप से विधि सम्मत एवं कानूनन उचित रूप से पारित किया गया है जो बहाल रखा जावें।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने कथन किया कि वर्तमान अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार करने हेतु ऐसे कोई नये साक्ष्य या तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे प्रथम अपील में पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। अपीलान्ट के द्वारा अपील पेश करने हेतु निर्धारित म्याद अवधि गुजर जाने के उपरान्त यह द्वितीय अपील पेश की है जो म्याद बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सभी परिस्थितियों एवं दस्तावेजों को मध्यनजर रखते हुए ही अपीलाधीन निर्णय को अपास्त करते हुए एवं रेस्पो0 के पक्ष में भूमि का नियमन करवाये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है जो बहाल रखा जावें तथा अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट के द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करने हेतु पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि पत्रावली के संलग्न खसरा परिवर्तनशील वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 अनुसार देवीदान पुत्र उमरदान का ख0सं0 262 की भूमि पर कब्जा काश्त माना है तथा वर्ष 2021 में तहसील स्तर से अतिक्रमण सम्बन्धी कार्यवाही होने तक रेस्पोडेन्ट का लगभग 15 साल का कब्जा काश्त दस्तावेजात अनुसार परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2021 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, दस्तावेजात का विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.11.2021 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 19 जनवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर